



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-13.06.2025

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत बकरा चोरी करने की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,

ज्ञात हो दिनांक 12.06.2025 को वादी नावेद पुत्र अनीस निवासी मौहल्ला कोटला कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा बकरा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 13.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा बकरा चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.फारुख उर्फ कुलफी पुत्र शकील निवासी मौहल्ला पीरजादगान नवाब दरवाजा थाना कैराना जनपद शामली।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चोरी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की बाइक बरामद:-

ज्ञात हो दिनांक 12.06.2025 को श्री अरसलान खान पुत्र खान जमा खान निवासी मौ0 आमानत अली थाना थानाभवन जनपद शामली अपनी मोटर साइकिल न0 UP 19 Q 0112 को अपने घर के बाहर खड़ी करके गया था। तभी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी बाइक चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 12.06.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चोरी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को चोरी की मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. गौतम पुत्र हिम्मत सिंह निवासी ग्राम अम्बेहटा याकूबपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की गई मोटर साइकिल न0 UP 19 Q 0112।



चौकी ऊन थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामद:-

दिनांक 13.06.2025 की को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में चौकी ऊन थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में चौकी ऊन थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. इस्तेकार पुत्र इकराम निवासी ग्राम हथछोया थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 10 लीटर कच्ची शराब ।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 13.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. हारुन पुत्र लतीफ निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामद:-

दिनांक 12.06.2025 की को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. धर्मेन्द्र पुत्र श्याम सिंह निवासी खानपुर जाटान थाना झिंझाना जिला शामली।

आपराधिक इतिहास: -

2. मु०अ०सं० 100/2017 धारा 60 (2) आब० अधि० थाना झिंझाना शामली

3. मु०अ०सं० 274/2025 धारा 60(1) आबकारी अधि० थाना झिंझाना शामली

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 13.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रिजवान पुत्र मेहंदी हसन निवासी अशरफपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिजवान -

1. मु0अ0सं0 275/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली

2. मु0अ0सं0 107/25 धारा 115(2)/352/351(2)/117(2)/324(4) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली

3.मु0अ0सं0 52/24 धारा 147/148/149/324/342/307/325/326 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कैराना जनपद शामली

4.मु0अ0सं0 89/21 धारा 356/511 भादवि थाना झिँझाना जनपद शामली

5.मु0अ0सं0 277/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना झिँझाना जनपद शामली

बरामदगी का विवरण:-

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 मामले में 02 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 1994 में अभियुक्तगण सन्त कुमार पुत्र रणधीर निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली 2. महेंद्र पुत्र रणधीर निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली

के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 148/1994 धारा 379/411/427/147 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 13.06.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम, कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 3000-3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI